

आरटीआई मुद्दों पर कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण।

सीपीआईओ और एफएए को सांविधिक दायित्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, विभाग ने 20/03/2024 को विभाग में आरटीआई मुद्दों पर एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 41 प्रतिभागियों (भौतिक और ऑन-लाइन दोनों) ने आरटीआई अधिनियम सहित विभिन्न मुद्दों पर विभाग और इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों, सांविधिक संगठनों और पीएसयू ने भाग लिया।

सत्र के दौरान, सुश्री अंजली राणा, सहायक निदेशक, आईएसटीएम ने आरटीआई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं आदि के साथ-साथ तृतीय पक्ष जानकारी और व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित कार्य करने के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया और आरटीआई मुद्दों पर विभिन्न निर्णयों और विभिन्न प्रावधानों पर केस कानूनों के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण के बाद एक प्रश्न-उत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसने आरटीआई अधिनियम से संबंधित कार्य करने वाले सभी को अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों के दिन-प्रतिदिन निर्वहन में आने वाले विभिन्न मुद्दों पर अतिथि वक्ता के विचार जानने का अवसर दिया।
